

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज.)  
 पीठाधीन अधिकारी : श्री अधीनस्थ प्रसाद कुमार, पी. ड.  
 प्रकरण संख्या 85/2017  
 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956  
 उनवान

श्री रामेश्वर लाल शर्मा द्वारा  
विपक्षी/विपक्षीगण

बनाम - प्राथी/प्राथीगण  
श्री लाल शर्मा  
शाहपुरा

उपस्थित :- श्री गजेन्द्रावर  
अधीनस्थ प्राथी - विपक्षी/विपक्षीगण

निर्णय दिनांक 25/10/17  
 प्राथी/प्राथीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षी/विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके श्लेष में तथ्य इस प्रकार से है :- प्राथी/प्राथीगण के ग्राम जामालपुरा तहसील शाहपुरा/ जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 2592 कला 0.40, 1960 इलाका 0.22, 1912 इलाका 0.90

कुल किता 3 रकबा 1.52 हेक्टर का प्राथी/प्राथीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार काश्तकार है। बादग्रस्त भूमि के विपक्षी/विपक्षीगण पड़ोसी है। प्राथी/प्राथीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी/विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी/विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्राथी/प्राथीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमावन्दी ग्राम जामालपुरा संवत् 2025 से 2028 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्राथी/प्राथीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्राथी/प्राथीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा जामालपुरा में स्थित प्राथी/प्राथीगण की उपरोक्त खातेदारी/संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता 3 रकबा 1.52 हेक्टर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा/ जिला भीलवाड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 200/- रुपये कायम किये जाते हैं जो प्राथी/प्राथीगण से तहसीलदार शाहपुरा/ जिला भीलवाड़ा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तहसील दाखिल दफ्तर हो। को सरे इजलास सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 25/10/17



उपखण्ड अधिकारी एच/ साधुलाल शर्मा शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपि:- तहसीलदार, शाहपुरा/ जिला भीलवाड़ा पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।  
 उपखण्ड अधिकारी एच/ साधुलाल शर्मा शाहपुरा (भीलवाड़ा)